न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 10 / 2022

प्रतापसिंह एफपीएस डीलर ग्रांम पंचायत विरहरु तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 20–4–2012 व बाबत निरस्त किये जाने प्राधिकार पत्र संख्या 3789 ग्रांम पंचायत विरहरु तहसील कुम्हेर।

निर्णय

दिनांक 11.10.2022

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 20–4–2019 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश में अपीलान्ट डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8, 9 11 एवं 17सी का उलंघन किया जाना पाये जाने पर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया, और नाही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया है, अधिनस्थ अधिकारी ने बिना कोई सुनवाई किये इकतरफा में नानस्पिकिंग एवं अस्पष्ट आदेश दिया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरुद्व होने से काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि उसने प्राप्त गेंहू का नियमानुसार सम्पूर्ण वितरण उपभोक्ताओ को कर दिया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई रिकार्ड से जांच नहीं की है। अपीलान्ट ने प्राधिकार पत्र की सभी शर्तो की पालना करता रहा है प्रार्थी ने किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया है। प्रवर्तन निरीक्षक रसद

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

द्वारा थाना कुम्हेर में दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 558/2002 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कराई थी, प्रकरण न.फो. संख्या 03/2005 में दिनांक 22.12.2016 को न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज) भरतपुर ने अपने आदेश से 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज)भरतपुर आदेश दिनांक 22.12.2016 की अपील माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष पेश की जो अन्तरित होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या--2 भरतपुर के समक्ष सुनवाई हेतु भेजी गई। जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.1.2022 से अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.12.2016 तथ्यतः व विधिक रुप से उचित नहीं होने से अपास्त करने का निर्णय पारित किया है और अपीलान्ट को दोषमुक्त कर दिया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट के विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है और न ही किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने स्वयं के आधार पर गेंहू का गबन मानने में गभीर कानूनी त्रुटि की है। अपील की देरी से पेश करने के बारे में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.1.2022 के बाद अपने लाईसेन्स को बहाल करवाने एवं सप्लाई चालू करने बाबत दिनांक 14.3.2022 को जिला रसद अधिकारी भरतपुर से निवेदन किया तो उन्होने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2012 की जानकारी दी, अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल वगे. लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश कर दी गई। उनका यह भी कथन है कि अपील पेश करने में जानबूझकर या कसदन कोई देरी नहीं की है बल्कि जानकारी नहीं होने के कारण देरी हुई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5/14 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना की कि अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आदेश दिनांक 20.4.2012 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की सप्लाई चालू किये जाने के आदेश दिये जावे।

पैरोकार रसद का तर्क है कि अपील 10 साल बाद म्याद बहार पेश की गई है। अपील असाधारण देरी से पेश की गई हैं। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में जो तथ्य दिये हैं वे सब झूठे है। प्रार्थना पत्र में इतनी लम्बी देरी का जो कारण बताया है वह मनगढ़त है। पैरोकार रसद का तर्क है कि प्रकरण श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.3.2004 से जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया गया था। निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु अपीलान्ट डीलर को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये थे, अपीलान्ट डीलर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में तारीख पेशीयों पर उपस्थित आता रहा है जिसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर तहत न्यायालय की पत्रावली दर्ज हैं। अपीलान्ट डीलर तहत न्यायालय में दिनांक 8.12.11 को उपस्थित आया है और उपस्थित के

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हस्ताक्षर किये हैं। प्रकरण में तहत न्यायालय ने दिनांक 8.12.11 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.2.12 नियत की गई अपीलान्ट बावजूद सूचना नियत दिनांक 6.2.2012 को उपस्थित नहीं तथा आगामी तारीख पेशी निर्णय दिनांक 20.4.2012 को उपस्थित नहीं आया है। यानि अपीलान्ट लीलर जानबूझकर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट का अब ये कहना कि उसे तहत न्यायालय ने कोई नोटिस नहीं दिये सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया सारे तथ्य झूठे हैं। अपील अपीलान्ट खारिज की किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर गौर किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2012 के खिलाफ यह अपील दिनांक 13.5.2022 को पेश की गई है। अपीलार्थी देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र धारा 5/14 मय शपथ पत्र पेश किया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> **Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of- Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u.s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)**

माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.1.2022 में विद्वान न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन. डी.टी.) एक्ट कंसेज) भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–12–2016 को अपास्त किया गया है। अपीलाधीन आदेश तारीख 20.4.2012 को अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये सूक्ष्म नानस्पिकिंग आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से न्यायिक आदेश नहीं कहा जासकता है। अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण का पुनः परीक्षण किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 20.4.2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर ,भरतपुर